भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1433
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

1433. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में शामिल किए गए शहरों का पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कब तक कार्य पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारत सरकार ने शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के तहत 65 चयनित शहरों में और पश्चिम बंगाल के शहरों/कस्बों सहित अन्य शहरों/कस्बों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचसीडीपी) के तहत स्लम निवासियों सहित शहरी गरीबों को आवास और संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को केंद्रीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता करने के लिए दिसंबर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था। जेएनएनयूआरएम की अवधि मार्च 2012 तक थी। हालांकि, 31.03.2012 तक चल रही स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, यह अवधि बढ़ा दी गई और मार्च 2017 तक निधियां जारी की गईं। जेएनएनयूआरएम के एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटक के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का शहर-वार विवरण अनुलग्नक में है।

******

दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) योजना के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या के साथ-साथ वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या	आवासों का विवरण (संख्या में)			केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	
				स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण	स्वीकृत	जारी
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	33	28,250	25,316	25,316	440.66	425.50
2		बिहार	26	23,945	23,753	23,277	330.81	278.36
3		छत्तीसगढ	17	15,782	15,782	15,110	138.93	158.85
4		गोवा	-	-	-	-	-	0.70
5		गुजरात	36	20,350	20,194	19,026	194.53	247.46
6		हरियाणा	15	10,327	10,327	10,013	190.73	188.96
7		हिमाचल प्रदेश	8	1,954	843	693	48.79	37.94
8		झारखंड	10	7,613	7,496	7,496	86.66	86.98
9		कर्नाटक	32	17,237	17,237	17,237	222.56	221.77
10		केरल	45	20,384	19,890	19,669	140.38	165.17
11		मध्य प्रदेश	48	13,635	13,217	13,217	160.31	194.52
12		महाराष्ट्र	84	77,885	70,155	58,471	1,164.29	1,163.14
13		ओडिशा	35	12,742	11,885	11,112	188.72	163.29
14		पंजाब	4	2,397	2,397	2,073	25.90	89.71
15		राजस्थान	57	36,250	34,901	34,082	492.40	535.50
16		तमिलनाडु	93	37,715	37,362	37,259	400.38	398.77
17		तेलंगाना	22	11,288	11,288	9,651	227.85	232.18
18		उत्तर प्रदेश	134	37,818	37,818	36,903	624.41	718.18
19		उत्तराखंड	18	3,262	2,965	2,717	60.88	73.09
20		पश्चिम बंगाल	81	49,435	49,435	49,435	663.06	703.23
उप-योग (राज्य):-			**798**	**4,28,269**	**4,12,261**	**3,92,757**	**5,802.25**	**6,083.31**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	1	176	176	176	8.96	8.96
22		असम	16	4,323	3,914	3,914	50.11	48.37
23		मणिपुर	6	2,829	2,829	2,829	32.35	32.35
24		मेघालय	2	584	584	472	12.63	15.70
25		मिजोरम	6	1,950	1,950	1,950	29.78	29.78
26		नागालैंड	2	2,761	2,761	2,761	41.30	41.30
27		सिक्किम	1	39	39	39	17.92	17.92
28		त्रिपुरा	5	3,115	3,115	3,115	38.05	38.05
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य):-			**39**	**15,777**	**15,368**	**15,256**	**231.10**	**232.43**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	-	-	8.90	5.53

30		चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2	158	158	158	3.85	3.63
32		दिल्ली	-	-	-	-	-	-
33		जम्मू और कश्मीर	36	7,531	7,329	6,994	112.75	109.50
34		लद्दाख	-	-	-	-	-	-
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	1	216	216	144	2.61	2.74
उप-योग (यूटी):-			**40**	**7,905**	**7,703**	**7,296**	**128.10**	**121.40**
कुल योग:-			**877**	**4,51,951**	**4,35,332**	**4,15,309**	**6,161.45**	**6437.14***

*कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जारी की गई धनराशि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आवासों की संख्या में कटौती के कारण अधिक हो गई है।